







फद आंकाम

व. नं. 1

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी प. नं.

केस संख्या


विशेष

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तार	विशेष विवरण
7/6/24	पत्रावली पेश। पक्षकारान वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24/6/24 को पेश हो। 	
24/6/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप. पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 22/7/24 को पेश हो। 	
20/7/24	पत्रावली पेश हुई है पी.ओ. साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/8/24 को पेश है। 	
23/8/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप. पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 28/9/24 को पेश हो। 	
27/9/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप. पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 4/11/24 को पेश हो।	
4/11/24	पक्षकारान के वकील उपस्थित है। आर. पी. ओ. साहब अवकाश/दौरे पर है। पत्रावली मत आदेशानुसार दिनांक 12/10/24 को पेश है। 	
20/11/24	आज यह पत्रावली वकील वाडी द्वारा विज्ञा प्रार्थना पत्र पेश करने पर नलक की गरी वाडी स्वयं उपस्थित हुए तथा निवेदन किया कि पक्षकारान के महम राजीनामा हो गया है तथा अपना वाड विज्ञा करवाना चाहते हैं। 	<p>पक्षकारान</p> <p>10/11/24</p> <p>वकिरुम (10/11/24)</p> <p>10/11/24</p>

फर्द अहकाम

लक्ष्मण सिंह बनाम शंकरसिंह

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी फागी  
केस संख्या

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	नाम केस दिनांक शिया व
		<p>पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें आगामी नारीख पेशी 12/12/24 नियत है। विद्वां प्र. पत्र पेश करके वाडी ने अपना कांड आगे नहीं चलाना स्वीकार किया। न्यायद्वारा प्र. विद्वां प्र. पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली केसल शुभान होकर दर्ज न. स. कर ही दाखिल दफ्तार है।</p>	
		<p> उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला-दुध</p>	